कार्यालय–वाहन नीलामी समिति, सिविल न्यायालय करैरा, जिला–शिवपुरी (मध्यप्रदेश)

।। नीलामी/विक्रय की शर्तें ।।

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि सिविल न्यायालय, करैरा, जिला–शिवपुरी, मध्यप्रदेश के अनुपयोगी घोषित शासकीय वाहन क्रमांक MP-02-AV-3013 Mahindra Xylo (2010) का विक्रय खुली नीलामी के माध्यम से किया जाना है।

अतः इस नीलामी/विक्रय की शर्तों के अधीन जो संस्था या व्यक्ति, शासकीय वाहन क्रमांक MP-02-AV-3013 Mahindra Xylo (2010) को क्रय करना चाहता है, वह **दिनांक 20.09.2024** को सिविल न्यायालय परिसर (पुराना), तहसील–करैरा, जिला–शिवपुरी, मध्यप्रदेश में आयोजित खुली नीलामी में भाग ले सकता है। नीलामी/विक्रय से संबंधित अन्य जानकारी अथवा वाहन का भौतिक अवलोकन जिला नाजिर, नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय शिवपुरी में कार्यालयीन समय में सम्पर्क कर, किया जा सकता है।

नीलामी/विक्रय की शर्तें मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की आधिकारिक वेबसाइट www.mphc.gov.in पर देखी जा सकती हैं।

नीलामी/विक्रय की शर्तें–

1. शासकीय वाहन क्रमांक MP-02-AV-3013 Mahindra Xylo (2010) का अपलेखन मूल्य 65,000/–रूपये निर्धारित है।
2. वाहन को विज्ञप्ति जारी होने के दिनांक से नीलामी **दिनांक 20.09.2024** से एक दिन पहले तक देखा जा सकता है। वाहन जिस स्थिति में है, उसी स्थिति में नीलाम/विक्रय किया जायेगा।
3. वाहन के परिवहन हेतु किसी भी प्रकार का भाड़ा आदि देय नहीं होगा।
4. नीलामी/विक्रय कार्यवाही में भाग लेने से पूर्व नीलामीकर्ता/कर्मचारी के पास नीलामी राशि की 25 प्रतिशत राशि (16,250/–रूपये) अमानत के रूप में अग्रिम जमा कराना होगी। स्वीकृत बोलीकर्ता द्वारा अमानत के रूप में अग्रिम जमा राशि समायोजित की जा सकेगी एवं असफल बोलीकर्ता की राशि वापस की जावेगी। बोलीकर्ता द्वारा स्वयं का वैधानिक पहचान दस्तावेज भी प्रस्तुत करना होगा।
5. बोली स्वीकृति आदेश जारी होने के 07 दिवस के अंदर बोली की सम्पूर्ण राशि का नियमानुसार चालान शासन हित में जमा कराना होगा अथवा नगद राशि नजारत अनुभाग, सिविल न्यायालय करैरा, जिला–शिवपुरी, मध्यप्रदेश में जमा कर विक्रयशुदा वाहन स्वयं के व्यय पर उठाना अनिवार्य होगा, अन्यथा अमानत राशि शासन के पक्ष में राजसात की जा सकेगी।
6. बोली अंतिम रूप से माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय शिवपुरी द्वारा स्वीकृत की जावेगी। माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, शिवपुरी को अधिकार होगा कि वह किसी भी बोली को बिना किसी कारण बताए अस्वीकार कर दें।
7. वाहन नीलामी के संबंध में, विवाद के संबंध में वाहन नीलामी हेतु गठित नीलामी समिति का निर्णय समस्त बोलीकर्ताओं पर बंधनकारी होगा। वाहन नीलामी हेतु गठित, नीलामी समिति, सिविल न्यायालय करैरा को नीलामी/

विक्रय की शर्तों में बदलाव, आंशिक निरस्त अथवा पूर्णरूप से निरस्त करने का अधिकार होगा।

8. नीलाम/विक्रय शुदा वाहन का नीलामी में विक्रय किये जाने संबंधी प्रमाण–पत्र नीलामी समिति, सिविल न्यायालय करैरा द्वारा जारी किया जावेगा। इस प्रकार का प्रमाण–पत्र जारी किये जाने के उपरांत वाहन को यथास्थिति में स्वयं के व्यय पर सिविल न्यायालय परिसर, करैरा (पुराना) से ले जाना होगा। विलम्ब की स्थिति में दैनिक आधार पर माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, शिवपुरी द्वारा निर्धारित स्थल भाटक अदा करना होगा।

9. नीलामी/विक्रय की कार्यवाही में बोली लगाने हेतु भाग लेने वाले बोलीकर्ताओं के संदर्भ में यह माना/समझा जावेगा कि उन्हें नीलामी/विक्रय की समस्त शर्तें स्वीकार हैं।

10. सफल बोलीकर्ता द्वारा वाहन के नामांतरण, टैक्स जमा करना, बीमा कराना आदि समस्त कार्यवाही स्वयं करना होगी, जिनका व्यय भार भी स्वयं वहन करना होगा। इस संबंध में कार्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जावेगा।

11. वाहन प्राप्ति के समय वाहन की वर्तमान नम्बर प्लेट नजारत अनुभाग, सिविल न्यायालय करैरा में जमा की जावेगी।

(डी.एल. सोनिया)
सदस्य
वाहन नीलामी समिति/
द्वितीय जिला न्यायाधीश, करैरा,
जिला–शिवपुरी, मध्यप्रदेश